प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष **2022**

प्र.इ.रि.सं. 17/2022 दिनांक 22/01/2022

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें. 7

(2) अधिनियम – धाराये ....–............

(3) अधिनियम ....–........... धारायें...........–.......

(4) अन्य अधिनियम व धाराये...........–...........

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 531 समय 10.00 Pm

(ब) अपराध के घटने का दिन – शुक्रवार दिनांक–21.01.2022 समयः 11:40 ए.एम.।

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक –20.01.2022 समय.– 12:15 पी.एम.।

4. सूचना किस्म :– लिखित।

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख उत्तर पूर्व ब्यूरो चौकी से करीब 90 किमी।

(ब) पता :– कार्यालय ग्राम सेवा सहकारी समिति, बर

..........बीट सख्या..........–.......... जरायमदेही सं...–....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....–..........जिला..........–..........

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री मांगीलाल

(ब) पिता/पति का नाम :– श्री गुलाराम

(स) जन्म तिथि...... 72 वर्ष।

(द) राष्टीयता,:– भारतीय

(द) पासपोर्ट सख्या..........–.......... जारी होने की तिथि ....–......

जारी होने की जगह ....–..........

(र) व्यवसाय :– खेती

(ल) पता.:– निवासी रेल मगरा बर, पुलिस थाना रायपुर, जिला पाली।

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1. श्री शकूर खां पुत्र श्री मोहम्मद खां जाति मुसलमान उम्र 58 वर्ष निवासी गांव रेपड़ावास, थाना शिवपूरा तहसील सोजत, जिला पाली हाल निवासी आईओसी कॉलोनी के पीछे, मकान नम्बर 17, मां अम्बे नगर, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर हाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, तहसील रायपुर जिला पाली

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य

9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) –

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :– ––

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :– ––

12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :– ––

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
पाली प्रथम।

विषय : रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी मांगीलाल पुत्र श्री गुलाराम माली निवासी रेल मगरा बर जिला पाली का रहने वाला हॅू मैने ग्राम सेवा सहकारी समिति बर पंचायत समिति रायपुर जिला पाली से कृर्सि ऋण प्राप्त किया था उक्त पेटे दिनांक 25.12.2017 को ब्याज सहित रूपये रूपये 0145626.82 बकाया थे मेरे द्वारा समय समय पर राशि जमा कराने के बाद दिनांक 06.08.2017 को 0145239.99 रूपये बकाया थे दिनांक 08.08.2018 को 50000 रूपये सरकार द्वारा माफ कर दिये थे उक्त दिनांक 26.02.2019 को सरकार द्वारा शेश राशि 95449 रूपये भी माफ कर दिये थे अब मेरे ऋण पेटे कोई राशि बकाया नही है दिनांक 17.11.2021 को श्री शकूर खां तेली व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बर से मिला व मैने एक प्रार्थना पत्र मेरी हिस्सा राशि 11700 रूपये दिलवाने हेतु श्री शकूर खां को पेश किया जिसपर श्री शकूर खां ने मुझे कहा की आपके ऋण राशि करीब 145626.82 रू सरकार द्वारा माफ किये है उक्त राशि का दस प्रतिशत करीब 15000 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी मैं मेरे जायज काम के बदले 15000/ रूपये रिश्वत में श्री शकूर खां व्यवस्थापक को नही देना चाहता हू। श्री शकूर खां को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ मेरे व शकूर खां तेली व्यवस्थापक के बीच कोई रूपयो पैसो का लेन देन नही है ना ही मेरी कोई रंजिश है रिपोर्ट पेश करता हू कानूनी कार्यवाही करावे।

संलग्न : ऋण सम्बंधि दस्तावेज की फोटो प्रतियां नई

धन्यवाद

हस्ताक्षर
श्री अर्जुनसिंह गवाह : 21.01.2022
श्री इन्द्रदास गवाह : 21.01.2022

हस्ताक्षर
प्रार्थी
(श्री मांगीलाल पुत्र श्री गुलाराम, जाति माली, उम्र 72 वर्ष, निवासी रेल मगरा बर, मोबाईल नं0 9214893866
दिनांक 20.01.2022)

हस्ताक्षर
20.01.2022
नरपत चंद,
Adsp Acb पाली

कार्यवाही पुलिस दिनांक 20.01.2022 समय 12.15. पी.एम.

इस समय परिवादी श्री मांगीलाल पुत्र श्री गुलाराम, जाति माली, उम्र 72 वर्ष, निवासी रेल मगरा बर, पुलिस थाना रायपुर, जिला पाली मोबाईल नं0 9214893866 ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय पाली ने मन् नरपतचन्द, अति0 पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मैने ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली से कृषि ऋण प्राप्त किया था, उक्त ऋण पेटे दिनांक 25.12.2017 को ब्याज सहित 1,45,626.82 रूपये बकाया थे। मेरे द्वारा समय–समय पर राशि जमा कराने के बाद दिनांक 06.08.2018 को 1,45,239.99 रूपये बकाया थे। दिनांक 08.08.2018 को 50,000 रूपये राज्य सरकार द्वारा माफ कर दिये थे तथा दिनांक 26.02.2019 को राज्य सरकार द्वारा शेष राशि 95,449 रूपये भी माफ कर दिये थे। अब मेरे ऋण पेटे कोई राशि बकाया नहीं है। दिनांक 17.11.2021 को श्री शकुर खां तेली, व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति बर, जिला पाली से मिला व मैने एक प्रार्थना पत्र मेरी हिस्सा राशि 11,700 रूपये दिलवाने हेतु श्री शकुर खां को पेश किया। जिस पर श्री शकुर खां ने मुझे कहां कि आपके ऋण पेटे राशि करीब 1,45,626.82 रूपये राज्य सरकार द्वारा माफ किये है, उक्त राशि का दस प्रतिशत करीब 15,000 रूपये रिश्वत की मांग की। मैं मेरे जायज काम के बदले श्री शकुर खां व्यवस्थापक को 15,000 रूपये रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ व श्री शकुर खां को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व श्री शकुर खां तेली व्यवस्थापक में मध्य कोई रूपयों पैसों का लेन–देन बकाया नहीं है न ही कोई आपसी रंजिश आदि हैं। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावे।

परिवादी श्री मांगीलाल ने उक्त रिपोर्ट अपने मिलने वाले से लिखवाना, रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने रिपोर्ट के सलंग्न ऋण आहरण एवं ऋण माफी से सम्बंधित स्वयं द्वारा स्वः प्रमाणित प्रतियां एवं आधार कार्ड की हस्ताक्षरशुदा छायाप्रति भी प्रस्तुत की। परिवादी श्री मांगीलाल ने स्वेच्छा से यह भी बताया कि श्री शकुर खां व्यवस्थापक मेरे से रिश्वत राशि बाबत वार्तालाप ग्राम सेवा सहकारी समिति में नहीं करेगा, क्योकि वहां हर समय अन्य कोई न कोई व्यक्ति उपस्थित रहते है, और उनके सामने वह रिश्वत राशि के सम्बंध में कोई वार्तालाप नहीं करते है, रिश्वत राशि के सम्बंध में वार्तालाप वह अपने मोबाईल पर ही करते है। आज मै उनसे उनके मोबाईल पर वार्ता करता हूँ तो वह मेरे से मोबाईल पर वार्ता कर लेंगे।

परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 20.01.2022 समय 01.45 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में रखी अलमारी में से डिजीटल टेप रिकार्ड निकालकर टेप रिकार्डर में कोई वार्ता रिकॉर्ड नहीं होना सुनिश्चित किया गया तथा परिवादी के बताये अनुसार परिवादी श्री मांगीलाल के मोबाईल नम्बर 9214893866 से श्री शकुर खां व्यवस्थापक के मोबाईल नम्बर 9571463633 पर कॉल कर फोन का लाउड स्पीकर ऑन करवाकर वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। मोबाईल वार्तालाप के दौरान रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होने तथा रिश्वती राशि लेन–देन कल दिनांक 21.01.2022 को तय होने से परिवादी श्री मांगीलाल को रिश्वती राशि 15,000 रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 21.01.2022 को सुबह करीब 10:00 बजे मिडवे आरटीडीसी मोटल बर के सामने उपस्थित मिलने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 20.01.2022 को ही ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्कता होने से तहसीलदार, पाली के नाम तहरीर श्री